

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या

15 / 11 / 2024

प्रवेश तिथि

30-10-2023

निर्णय दिनांक

06-03-2024

- 1- Can Fin Homes Ltd., Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari 123401 Haryana Through Its Authorized Officer

प्रार्थी

बनाम

- 1- Anurag S/O Rajkumar
2- Rajkumar S/O Tejram
3- Anuradha Goud W/O Anurag
All Are Resident Of-
01. Plot No. 80B, Khasra No. 61/2011, Baba Hari Bas Police Station, Surykunj, Najafgarh, South West Delhi, Delhi-110043
02. 02 BHK Flat No. B-1-103, First Floor Tower B-1, Avlon Homes, Sector-106, Bhiwadi Dist-Alwar Rajasthan-301019

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Can Fin Homes Ltd., Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari 123401 (Haryana) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को को 18,50,000/- रुपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति 2 BHK Flat No. B-1-103, Floor no.- First Floor, Avlon Homes, Sector-106, Bhiwadi तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 201901213000257 Dated 11-03-2019 Registered With Sub Registrar Bhiwadi जिला खैरथल-तिजारा अन्तर्गत स्वामित्व अनुराग पुत्र राज कुमार एवं अनुराधा गौड पुत्री विनोद कुमार, प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 30.05.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को दिनांक 29.05.2023 को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति 2 BHK Flat No. B-1-103 Floor no.- First Floor, Avlon Homes, Sector-106,

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/11/2024

प्रवेश तिथि
30-10-2023

निर्णय दिनांक
06-03-2024

1- Can Fin Homes Ltd., Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari 123401 Haryana Through Its Authorized Officer

बनाम

प्रार्थी

1- Anurag S/O Rajkumar
2- Rajkumar S/O Tejram
3- Anuradha Goud W/O Anurag
All Are Resident Of-

01. Plot No. 80B, Khasra No. 61/2011, Baba Hari Bas Police Station, Surykunj, Najafgarh, South West Delhi, Delhi-110043
02. 02 BHK Flat No. B-1-103, First Floor Tower B-1, Avlon Homes, Sector-106, Bhiwadi Dist-Alwar Rajasthan-301019

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Can Fin Homes Ltd., Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari 123401 (Haryana) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को को 18,50,000/- रुपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेते में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति 2 BHK Flat No. B-1-103, Floor no.- First Floor, Avlon Homes, Sector-106, Bhiwadi तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 201901213000257 Dated 11-03-2019 Registered With Sub Registrar Bhiwadi जिला खैरथल-तिजारा अन्तर्गत स्वामित्व अनुराग पुत्र राज कुमार एवं अनुराधा गौड पुत्री विनोद कुमार, प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 30.05.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को दिनांक 29.05.2023 को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति 2 BHK Flat No. B-1-103, Floor no.- First Floor, Avlon Homes, Sector-106,

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

Bhiwadi तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 201901213000257 Dated 11-03-2019 Registered With Sub Registrar Bhiwadi जिला खैरथल—तिजारा अन्तर्गत स्वामित्व अनुराग पुत्र राज कुमार एवं अनुराधा गौड पुत्री विनोद कुमार, का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 30.05.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि बकाया 15,70,175/- रुपये एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति 2 BHK Flat No. B-1-103, Floor no.- First Floor, Avlon Homes, Sector-106, Bhiwadi तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 201901213000257 Dated 11-03-2019 Registered With Sub Registrar Bhiwadi जिला खैरथल—तिजारा अन्तर्गत स्वामित्व अनुराग पुत्र राज कुमार एवं अनुराधा गौड पुत्री विनोद कुमार, का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति 2 BHK Flat No. B-1-103, Floor no.- First Floor, Avlon Homes, Sector-106, Bhiwadi तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 201901213000257 Dated 11-03-2019 Registered With Sub Registrar Bhiwadi जिला खैरथल—तिजारा अन्तर्गत स्वामित्व अनुराग पुत्र राज कुमार एवं अनुराधा गौड पुत्री विनोद कुमार, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06-03-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(~~डॉ. अतिशय शुक्ला~~)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल—तिजारा